



राजस्व अखिल भारतीय प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपीलिय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा। जिसके द्वारा अपीलान्त द्वारा प्रथम अपीलिय न्यायालय के समक्ष अपील दायर करवाई गई, जिसमें किस्मि प्रकार से साक्ष्य सूनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। उक्त आदेश से व्यथित किया जाकर दिनांक 22.01.2016 को ही जैर अपील आदेश पारित कर दिया तथा अपीलान्त को विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं कि प्रकरण में दिनांक 08.02.2016 तक अपीलान्त द्वारा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने के पश्चात को माननीय मजल्ल द्वारा निर्णय पारित करते हुए परीक्षण न्यायालय को यह निर्देश प्रदान कि माननीय न्यायालय राजस्व मजल्ल राजस्थान में याचिका दायर की, जिसमें दिनांक 22.01.2016 इस पर अपीलान्त द्वारा प्रकरण परीक्षण न्यायालय से अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु समय बाड़ा गया, किन्तु परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलान्त को समुचित समय नहीं दिया गया, पुमाना अधिराजित किया। परीक्षण न्यायालय के समक्ष अपीलान्त द्वारा जवाब प्रस्तुत करने हेतु पारित कर अपीलान्त को अतिकमी घोषित किया एवं मीस से मौलिक रूप से बेदखल कर राजस्थान में राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 22.01.2016 को निर्णय को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्त के विरुद्ध उप तहसीलदार कालन्दी द्वारा धारा 91 विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दिनांक:- 7/5/2018

:- निर्णय :-

उपस्थित :- श्री नान्द मंडलीया, विद्वान अभिभाषक अपीलान्त सरकारी धरकार, रेस्पॉडेंट की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान अधिनियम 1956

राजस्व अपील : 29/2016  
 अपीलान्त  
 बनाम  
 रेस्पॉडेंट :-  
 1. महेंद्रसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी कालन्दी तहसील राजस्थान सरकार जारिये उप तहसीलदार कालन्दी सिरोही

न्यायालय राजस्व अखिल प्राधिकारी, प्राचीन कौमु सिरोही  
 पीठस्थान अधिकारी : डॉ० बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

4



उभयपक्ष आश्वासकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। और अधील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम ग्राम कालन्दी 1 के खसरा नम्बर 2197 कुल रकबा 4.25 हेक्टेयर किस्म बरडा की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का कालन्दी 1 द्वारा उप तहसीलदार कालन्दी के समक्ष इस आधार की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अधीलापट द्वारा उपरोक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है, इस पर उप तहसीलदार कालन्दी द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 15.01.2016 को तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह स्वयं अधीलापट से तामील करवाया गया है, जो सम्यक तामील की परिभाषा में आने से तामील माना गया। नियत तारीख पेशी पर अधीलापट के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब देते अवसर प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर पत्रावली दिनांक 22.01.2016 को नियत की गई। नियत तारीख पेशी की अधीलापट के अधिवक्ता द्वारा जवाब देते अवसर चाहने पर समय नहीं दिया जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा और अधील आदेश पारित किया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व ही अधीलापट द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान के समक्ष प्रकरण को अन्तर्गत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था, जिसमें माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 22.01.2016 को निर्णय पारित करते हुए अधीलापट को निर्णय पारित करने

अतः अधीलापट की अधील खारिज करावे।

के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए और अधील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पर्याप्तता अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अधीलापट के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बंदखली पारित किया गया है। चूंकि अधीलापट द्वारा किया गया अतिक्रमण पटवारी अधीलापट की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अधीलापट के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही दर्ज है। उक्त भूमि में से 0.48 हेक्टेयर भूमि पर अधीलापट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण नम्बर 2197 कुल रकबा 4.25 हेक्टेयर किस्म बरडा की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में खाता संख्या 1 में सरकारी प्रतिकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम कालन्दी 1 के खसरा

एवं और अधील आदेश अपास्त करावे।

दोहल करने का आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। अतः अधील स्वीकार करावे। जयि अधीलापट को वादस्थ भूमि से बंदखल करने एवं एक माह के सिविल कारावास से किया गया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध कार्यवाही करते हुए और अधील आदेश के प्रदर्शित नहीं है तथा न ही तथ्याकथित फर्द के आधार पर अधीलापट को उक्त भूमि से बंदखल पर्याप्तता अधीलापट अधीलापट माना है, वह साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त दर्शावेण अधीलापट द्वारा पर्याप्तता अधीलापट अतिक्रमण किया गया है। जिस फर्द बंदखली के आधार पर प्रदान नहीं किया। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली से यह कहीं भी साबित नहीं होता है कि गया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से अधीलापट को निरह करने का अवसर भी का पुराना कब्जा है तथा अधीलापट को कभी भी मौके से अधिक रूप से बंदखल नहीं किया राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेशों की पालना की गई। और अधील वादस्थ भूमि पर अधीलापट अधीलापट को किसी भी रूप में साक्ष्य सूनवाड़े का अवसर प्रदान नहीं किया तथा न ही माननीय

08.02.2016 तक आवश्यक रूप से साक्ष्य संपूर्ण प्रस्तुत करें। इस अवधि के बाद अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण का अंतिम निस्तारण हेतु स्वतन्त्र है। किन्तु परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.01.2016 को ही प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया, जो माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान में निर्णय का उल्लंघन है। परीक्षण न्यायालय को यह संज्ञान में था कि अपीलापट्ट द्वारा प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इस स्थिति में परीक्षण न्यायालय को माननीय मंडल द्वारा निर्णय पारित होने के पश्चात निर्णय में दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जानी थी, जो नहीं की गई। इस कारण परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समर्थन योग्य नहीं है। जिसकी निस्तारणा में विद्वान प्रथम अपील न्यायालय का निर्णय भी इस्तिक्षेप योग्य पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपील अपीलापट्ट आशिका रूप से स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील संख्या 06/2016 में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2016 एवं न्यायालय उप तहसीलदार कालन्दी द्वारा प्रकरण संख्या 364/2015 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2016 को अपारत किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ उप तहसीलदार कालन्दी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलापट्ट को साक्ष्य सूनवाई का समर्थित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें। साथ ही अपीलापट्ट को निर्देश दिये जाते हैं कि वे परीक्षण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.05.2018 तक आवश्यक रूप से साक्ष्य संपूर्ण प्रस्तुत करें। इस अवधि के बाद परीक्षण न्यायालय प्रकरण का अंतिम निस्तारण करने हेतु स्वतन्त्र है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 7/5/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद इस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ० बजरंगसिंह चौहान)  
 राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली  
 कैम्प सिरोही  
 पाली केम्प-सिरोही